

- (iii) टैरिफ मद 0802 31 00, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “120%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (iv) टैरिफ मद 0808 10 00, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “75 %” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(3) अध्याय 28 में,-

- (i) टैरिफ मद 2809 20 10, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “20%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (ii) टैरिफ मद 2810 00 20, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “17.5%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(4) अध्याय 38 में,-

- (i) टैरिफ मद 3822 00 90, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “20%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (ii) टैरिफ मद 3824 99 90 के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “17.5%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(5) अध्याय 72 में,-

- (i) टैरिफ मद 7210 12 10 और 7210 1290, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “27.5%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) टैरिफ मद 7219 12 00, 7219 13 00, 7219 21 90 और 7219 90 90, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “22.5%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) टैरिफ मद 72251100, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “20%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (6) अध्याय 73 में, टैरिफ मद 7307 29 00, 7307 99 90, 7308 90 90, 7310 29 90, 7318 15 00, 7318 16 00, 7318 29 90, 7320 90 90, 7325 99 99, 7326 19 90 और 7326 90 99, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “25%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. 341/15/2018-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th June, 2018

**No. 48/2018—Customs**

**G.S.R. 577(E).**—WHEREAS the Central Government on being satisfied that the import duty leviable on goods, falling under Chapters 7, 8, 28, 38, 72 and 73 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), should be increased and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8A of the said Customs Tariff Act, the Central Government, hereby directs that the First Schedule to the said Customs Tariff Act, shall be amended in the following manner, namely:—

In the First Schedule to the said Customs Tariff Act,—

- (1) in Chapter 7, for the entry in column (4) occurring against-
  - (i) tariff items 0713 20 10, 0713 20 20 and 0713 20 90, the entry “70%” shall be substituted;
  - (ii) tariff item 0713 40 00, the entry “40%” shall be substituted;
- (2) in Chapter 8, for the entry in column (4) occurring against-
  - (i) tariff item 0802 11 00, the entry “Rs. 42/kg” shall be substituted;
  - (ii) tariff item 0802 12 00, the entry “Rs. 120/kg ” shall be substituted;
  - (iii) for tariff item 0802 31 00, the entry “120% ” shall be substituted;
  - (iv) tariff item 0808 10 00, the entry “75% ” shall be substituted;
- (3) in Chapter 28, for the entry in column (4) occurring against-
  - (i) tariff item 2809 20 10, the entry “20%” shall be substituted;
  - (ii) tariff item 2810 00 20, the entry “17.5%” shall be substituted;
- (4) in Chapter 38, for the entry in column (4) occurring against-
  - (i) tariff item 3822 00 90, the entry “20%” shall be substituted;
  - (ii) tariff item 3824 99 90, the entry “17.5%” shall be substituted;
- (5) in Chapter 72, for the entry in column (4) occurring against-
  - (iv) tariff items 7210 12 10 and 7210 12 90, the entry “27.5%” shall be substituted;
  - (v) tariff items 7219 12 00, 7219 13 00, 7219 21 90 and 7219 90 90, the entry “22.5%” shall be substituted;
  - (vi) tariff item 7225 11 00, the entry “20%” shall be substituted;
- (6) in Chapter 73, for the entry in column (4) occurring against tariff items 7307 29 00, 7307 99 90, 7308 90 90, 7310 29 90, 7318 15 00, 7318 16 00, 7318 29 90, 7320 90 90, 7325 99 99, 7326 19 90, and 7326 90 99, the entry “25%” shall be substituted.

[F. No. 341/15/2018-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2018

### सं. 49/2018-सीमा शुल्क

**सा.का.नि. 578(अ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और भी आगे संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

- (1) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 4 अगस्त, 2018 से अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

| (1)   | (2)      | (3)  | (4) | (5) | (6) |
|-------|----------|--|-----|-----|-----|
| “14 क | 05119911 | आर्टेमिया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित हो | 15% | -   | -”; |